

कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़



क्रमांक: एफ/सर्वे/उवसं/2020-21/14112

दिनांक: 13.10.2020

M/S JUGGLER HAWK INDUSTRIES PVT. LTD.
40/40 THIRD BLOCK, NEW DHAN MANDI
Sriganganagar

विषय :- Reply for Diversion of 0.2239 hact. of forest land in favor of M/S JUGGLER HAWK INDUSTRIES PVT. LTD. for Construction of Approach Road for Proposed Bio-Diesel Plant, on NH-62 (Old-NH-15) Chainage No 209+621 to 209+671 (RHS) At Chak 7 BLW, SQ No-55, Killa No 21-25 at Village- Kenchiya, Tehsil- Pilibanga, Distt. Hanumangarh Proposal No. FP/RJ/ROAD/46675/2020.

प्रसंग :- उप वन महानिरीक्षण (केन्द्रीय)/क्षेत्रीय अधिकारी, जयपुर का पत्रांक 8बी/राज./06/36/2020/एफ.सी./7 दिनांक 05.10.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ के पत्र की छायाप्रति संलग्न कर भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दु संख्या 1, 2, 5 से 21, 23 व 24 बिन्दुवार अंडरटेकिंग प्रस्तुत करें एवं बिन्दु संख्या 3 की पालना में 225 पौधों का पौधारोपण व 10 वर्ष तक रख-रखाव की राशि 184500 (एक लाख चौरासी हजार पांच सौ), बिन्दु संख्या 3 की पालना में सर्वे, डिमार्केशन व स्थायी 4 पीलर निर्माण हेतु राशि @2500 प्रति पीलर = 10000 (दस हजार) इस कार्यालय में जरिए डीडी जमा करावे। बिन्दु संख्या 4 के अनुसार एनपीवी की राशि 98068 (अठानवे हजार आठ अडसठ रु)। प्रकरण में जमा की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि एवं एनपीवी की राशि ई-चालान से जमा करायी जावे।

इसके अलावा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रति दो दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें साथ ही आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं कराया जावे।

संलग्न :- उक्तानुसार

(करण सिंह)
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

क्रमांक/सम/ दिनांक
प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, पीलीबंगा को पालनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़